



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं0 पटना 513) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
15 जुलाई 2022

अधिसूचना संख्या 09/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 112, दिनांक 15 जुलाई 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 54 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 05/2017-राज्य-कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 548 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक “क्रम संख्या 1”, के स्थान पर शब्द और अंक “क्रम संख्या 1कक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- सारणी में क्रम संख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत-स्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)
“1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।

1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं ।
1ङ.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसुंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1छ.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ज.	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1झ.	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ण.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं ।
1त.	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमित्तियां ।
1थ.	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं ।
1द.	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध.	2702	लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न.	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं”

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 09)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

15 जुलाई 2022

एस० ओ० 112, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 09)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th July 2022

Notification No. 09/2022- State Tax (Rate)

S.O.112, Dated 15th July 2022— In exercise of the powers conferred by clause II of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 548, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure “serial numbers 1”, the words, figure and letters “serial numbers 1AA” shall be substituted;
- (ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.

1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated"

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 09)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 513-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>